

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट  
सैक्टर-19 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पत्र संख्या- 1909/एस0टी0-सी0एम0/2016  
दिनांक: 16 जुलाई, 2016

प्रबन्धक/स्वामी  
Brick Rise Developers Private Limited,  
Lotus Business Park, 7<sup>th</sup> Floor, Tower B,  
Plot No.8, Sector-127, Noida


विषय :- तरण ताल के निर्माण हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Plot No.SC-02/H&I, Sector-150, Noida में स्वीमिंग पूल-43.0 X 12.75=548.25 Sqmt, Adult Pool Size=37.0 X 12.75=471.75 Sqmt, Kids pool Size = 6.0 X 12.75 = 76.50 Sqmt में बनाये जाने की अनुमति चाही गयी है। उक्त के संबंध में प्रभारी क्रीडाधिकारी गौतमबुद्धनगर की आख्या/पत्र दिनांक 14.07.2016 के क्रम में प्रस्तावित स्थान पर निम्न व्यवस्थायें कराये जाने की शर्तों के आधार पर स्वीमिंग पूल के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है।

शर्तें :-

1. पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिये।
2. पूल पर वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का होना अनिवार्य है।
3. स्वीमिंग पूल की क्षमता के अनुपात में दो फिल्टर प्लान्ट होना अनिवार्य है।
4. स्वीमिंग पूल की डैक की टाइल्स स्काई ब्लू होनी चाहिये।
5. पानी निकासी का उचित प्रबन्ध होना चाहिये।
6. स्वीमिंग पूल के अन्दर की टाइल्स स्काई ब्लू होनी चाहिये।
7. स्वीमिंग पूल बनाते समय स्वीमिंग पूल की गहराई अवश्य अंकित करें कि गहराई 08 फिट से अधिक न हों।
8. स्वीमिंग पूल के अन्दर जाने के लिये एक ही दरवाजा होना चाहिये।
9. स्वीमिंग पूल के चारों ओर की ऊँचाई कम से कम 05 फिट होनी चाहिये।
10. समय-समय पर जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तें स्वीमिंग पूल के निर्माण से सम्बन्धित हैं, अतः स्वीमिंग पूल का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, उसके संचालन के लिये अलग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के संचालन किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

  
(बच्चू सिंह)  
नगर मजिस्ट्रेट  
गौतमबुद्धनगर।